सत्यमेव जयते	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय उत्तर प्रदेश , प्रयागराज Office of the Accountant General (A&E)-II Uttar Pradesh, Prayagraj	लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक - मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)/ दिनांक - 14/05/2025

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग
एवं लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय - खंडीय स्तर पर मिलान के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन के बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या - 97 से 124 के तहत CCO स्तरीय मिलान किया जाना है। उक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के संबन्धित विभागों के द्वारा कोषागार से पारण किए गए व्यय के आंकड़े को "IFMS Portal" के "Reconciliation Module" पर उपलब्ध कराया गया है जिसे इस कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों के साथ, अपनाए गए प्रक्रिया के तहत तृतीय त्रैमास का मिलान किया जा चुका है। अतः आगामी त्रैमासों के मिलान पत्र विभाग के मुख्य नियंत्रक अधिकारी के स्तर पर प्रेषित किए जाने हैं। संबन्धित डीडीओ स्तरीय मिलान हेतु व्यय डाटाशीट इस कार्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया जा रहा है कि खंड द्वारा व्ययों का मिलान किया जा सके। डाटाशीट डाउनलोड करने हेतु इस प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है -

1.) Agup.nic.in 2.) Select {Accountant General (A&E)-II, UP, Prayagraj} 3.) Menu 4.) State Accounts 5.) Reconciliation of Accounts 6.) Checklist for DDOs for Reconciliation Cases

अतः चतुर्थ त्रैमास से संबन्धित व्यय का डीडीओ अपने स्तर पर मिलान किया जाना सुनिश्चित करावें तथा व्याप्त विसंगतियों की परिस्तिथियों में खंड द्वारा वाउचर संख्या के साथ

आवश्यक मूल प्रपत्र के साथ इस कार्यालय को दिनांक 20.05.2025 तक अवगत करावें जिससे कि विसंगतियों के निराकरन हेतु आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

यह पत्र महालेखाकार महोदय के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

14-5-25

वरिष्ठ लेखाधिकारी/मिलान प्रकोष्ठ(निर्माण)

पत्रांक - मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)/ तददिनांक -

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1.) समस्त वरिष्ठ खंडीय लेखाधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि पत्र को अधिशासी अभियंता को प्राप्त कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

2.) सहायक लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को कार्यालय के साइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक लेखाधिकारी/मिलान प्रकोष्ठ (निर्माण)